छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880, सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष नंबर : 0771-2445611 फैक्स नंबर : 2426396

खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 एच.डी.पी.ई. एक भरती प्लास्टिक बोरी निविदा दस्तावेज

निविदा फार्म का मूल्य
1500/- रूपये (वाणिज्य कर सहित)

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)

डनेज के रूप में उपयोग हेतु एक भरती प्लास्टिक (एच.डी.पी.ई) बोरी साईज 30''X19'' इंच

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13

फार्म नंबर.....

1.	निविदाकर्ता का नाम व पता	श्री/सुश्री.....
		.....
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम	श्री.....
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम	.....
	एवं पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर	.....
4.	जिला का नाम	.....
5.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 1500.00/– (वाणिज्यिक कर सहित)
		(अक्षरी एक हजार रूपये मात्र)
6.	निविदा फार्म क्रय/डाऊलोड की जानकारी	मनी रसीद नं./डी. डी. नंबर .....
		दिनांक .....
		बैंक का नाम .....
7.	निविदा जमा करने का दिनांक	दिनांक / /2012 को
	एवं समय	दोपहर .....बजे तक
8.	निविदा को खोले जाने का दिनांक,	दिनांक / /2012 को अपरान्ह.....बजे
	समय एवं स्थान	स्थान – कार्यालय जिला विपणन अधिकारी
		.....(छ.ग.)

टिप्पणी

1. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है। प्रथम प्रति निविदाकार टेंडर बॉक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु रखा जावेगा।
3. **प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 10 तक है।**
4. **निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट www.cgmarkfed.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस हेतु निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क का डी.डी. जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के नाम से देय होगा। निविदा फार्म के टेक्नीकल बीड के साथ जमा करना अनिवार्य होगा यदि टेक्नीकल बीड के साथ डी.डी. जमा नही किया जाता तो निविदा निरस्त मानी जायेगी।**

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

छ.ग. राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषको से धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में उपार्जित धान का भण्डारण जिले में निर्धारित संग्रहण केन्द्रों में किया जाता है। संग्रहण केन्द्रों में धान को सुरक्षित भण्डारण हेतु डनेज के रूप में (एच.डी.पी.ई) बोरी 30"X19" साईज में भूसा भरकर धान के स्टेक के नीचे दो लेयर में बछाई जाती है इस हेतु साफ–सुथरी एक भरती की 30"X19" की बोरी की आवश्यकता हेतु संग्रहण केन्द्रवार खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. इस निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ठ संलग्न है:–
   - (I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं है।
   - (II) परिशिष्ट '2' निविदा फार्म (भाग–क) तकनीकी लिफाफा हेतु।
   - (III) परिशिष्ट '3' दर प्रस्तुत करने हेतु निविदा फार्म (भाग–ख) वित्तीय लिफाफा हेतु।
   - (IV) परिशिष्ट '4' निविदा कार द्वारा किये जाने वाले इकरारनामा का प्रारूप।
   - (V) परिशिष्ट '5' जिलेवार, संग्रहण केन्द्रवार अनुमानित (एच.डी.पी.ई) बोरी की आवश्यकता एवं जमा करने योग्य अमानत राशि।

निविदाकार से अनुरोध है, कि इन दस्तावेजो को भली–भांति पढने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (एच.डी.पी.ई) बोरी 30"X19" साईज की आपूर्ति हेतु निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट 3 मे साफ–साफ अकों एवं शब्दों में अंकित कर वित्तीय लिफाफा में प्रस्तुत करें।

2. निविदाकार सें यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म संबंधित संग्रहण केन्द्र के जिला कार्यालय में निर्धारित तारीख को निर्धारित समय तक स्वीकार किये जायेगे। प्राप्त निविदाये उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकार के समक्ष खोली जायेगी। निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेगा। किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनाये, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस (एच.डी.पी.ई) बोरी 30X19 साईज क्रय निविदा प्रपत्र संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्व रहने के लिए बाध्य होगा।
4. निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम निविदाकारों से निविदा दरों पर निगोशियेशन किया सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही हुई, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को कास आँफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।
5. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट–1 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नही होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
6. निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :– निविदाकार को निविदा फार्म भाग 'क' में अपना परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे। प्रत्येक विवरण अपेक्षित जानकारी के साथ पूर्ण भरा जाना है।
7. नेट से निविदा निकालकर प्रस्तुत करने की स्थिति में अनुबंध के समय एक नये निविदा फार्म में सील सहित हस्ताक्षर कर सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरे) प्रस्तुत करे।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
रायपुर

परिशिष्ठ –1

निविदा निर्देश एवं मार्ग दर्शक सूचनाएं

निविदाकार जिनके द्वारा छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ के जिला कार्यालय से संबंधित संग्रहण केन्द्रों में डनेज हेतु उपयोगी एक भरती साफ–सुथरी एच.डी.पी.ई. 30"X19" साईज की बोरी की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। उन्हें निम्नानुसार नियमों एवं शर्तो को भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश एवं शर्ते निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जानेवाली संविदा के भाग/अंग माने जावेगे।

1. विपणन संघ के द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रारूप में ही दो सीलबंद लिफाफों में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (भाग "क") एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (भाग "ख") अलग–अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा।
2. **जिस जिले हेतु निविदा भरी जा रही है, उसी जिले से निविदा प्रपत्र क्रय किया जावें अथवा विपणन संघ की वेबसाईट www.cgmarkfed.in से डाउनलोड कर उसी जिले में ही जमा कराया जाना आवश्यक होगा।**
3. **तकनीकी लिफाफा में निविदा दस्तावेज सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जाएगा, अतः तकनीकी लिफाफा में निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करें :–**
   - **(I) वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।**
   - **(II) आयकर एवं विक्रय कर का क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट।**
   - **(III) 6 नग एक भरती उपयोगी निर्धारित साईज की बोरी का नमूना।**
   - **(IV) निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ठ '5' संग्रहण केंद्र की सूची के समक्ष संग्रहण केंद्रों में लगने वाले अनुमानित बोरो की संख्या दर्शित है, जिसके समक्ष अमानत राशि अंकित की गई है, का किसी भी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, (संबंधित जिला) के नाम पर देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।**
   - **(V) शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में विगत दो वर्षो का एच.डी.पी.ई बोरी आपूर्ति का अनुभव प्रमाण–पत्र।**
   - **(VI) आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत वर्ष के आयकर विवरण।**
4. निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर कार्यालय जिला विपणन अधिकारी छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. जिला ..... में निर्धारित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।
5. निविदा जिले के संग्रहण केन्द्रवार आपूर्ति हेतु स्वीकार की जावेगी। संबंधित जिले के निविदा फार्म में उक्त जिले के सभी संग्रहण केन्द्रों की दरें भरी जा सकती है।
6. खाली एच.डी.पी.ई. बोरियां साफ सुथरी झड़ाई हुई साबुत एक भरती उपयोगी ही स्वीकार की जायेगी।
7. कटी–फटी/अनुपयोगी/गीली/गन्दी बोरियां स्वीकार नहीं की जायेगी, ऐसी बोरियां प्रदायक को स्वयं के व्यय पर बदलना होगा।
8. बोरियों की साईज एच.डी.पी.ई. की बोरी का 30"**X**19" का होना चाहिए।

9. दरें गन्तव्य संग्रहण केन्द्र पहुंचाकर समस्त कर सहित दी जावेगी। आपूर्ति की गई एक भरती प्लास्टिक बोरियों की राशि का 80 प्रतिशत भुगतान संबंधित संग्रहण केन्द्र से मूल पावती प्राप्त होने पर की जावेगी। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान जिला स्तरीय समिति के गुणवत्ता परीक्षण के प्रतिवेदन पश्चात् नियमानुसार किया जा सकेगा। संग्रहण केन्द्र से प्राप्त पावती सुवाच्य स्पष्ट हस्ताक्षर एवं सील लगी हुई मान्य होगी।

10. न्यूनतम प्राप्त दर के निविदाकार (एल–1) से कमेटी द्वारा दर कम करने हेतु निगोशियेशन भी किया जा सकता है। **यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही हुई, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को कास आँफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।**

11. निविदा के साथ संलग्न संग्रहण केंद्र की सूची के समक्ष संग्रहण केंद्रों में लगने वाले अनुमानित बोरो की संख्या दर्शित है, जिसके समक्ष अमानत राशि अंकित की गई है, का किसी भी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ निविदाकर्ता को छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, (संबंधित जिला) के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है। यह राशि प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु पृथक–पृथक अनुमानित प्लास्टिक बोरी मात्रा के समक्ष दर्शित है। एक ही जिले के एक से अधिक संग्रहण केन्द्र हेतु आवेदन करने पर एक ही डिमांड ड्राफ्ट में संयुक्त अमानत राशि दी जा सकती है। बिना डिमांड ड्राफ्ट के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। अमानत राशि एफ.डी.आर., टी.डी.आर. अथवा नगद में स्वीकार नहीं की जायेगी।

12. आलू/प्याज/लहसून/नमक की बोरियां स्वीकार नहीं की जावेगी।

13. वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

14. सफल निविदाकार द्वारा आपूर्ति किये गये डनेज सामग्री के गुणवत्ता का निरीक्षण जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जावेगा।

15. सफल निविदाकार को 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में विपणन संघ से संलग्न प्रारूप में इकरारनामा निष्पादित करना होगा।

16. सफल निविदाकार (प्रदायक) को प्रदाय आदेश जारी करने के दिनांक से तीन दिवस के भीतर व्यादेशित मात्रा में बोरियों की आपूर्ति संग्रहण केन्द्र पर करनी होगी। बोरियों की आपूर्ति संबंधित जिले के भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर निकटतम संग्रहण केन्द्र के सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृत दर पर की जावेगी। भारतीय खाद्य निगम को एक भरती उपयोगी बोरियां आपूर्ति हेतु अन्य दर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। स्वीकृत निविदाकर्ता को आदेशित बोरियां संबंधित जिला विपणन अधिकारी से लिखित/मौखिक मांग प्राप्त होने पर तत्काल गन्तव्य स्थल तक पहुंचाकर देना होगा।

17. स्वीकृत निविदाकार द्वारा समय पर मांग अनुरूप आपूर्ति न करने की स्थिति में आवश्यक बोरियां स्थानीय बाजार भाव से खरीदी की जावेगी एवं अंतर की राशि निविदाकार के देयक/अमानत राशि/धरोहर राशि से कटौती कर ली जावेगी। आपूर्ति आदेश अनुमानित मात्रा से कम या ज्यादा भी हो सकता है। निविदाकार द्वारा प्लास्टिक बोरियां मांग अनुसार प्रदाय न करने तथा गुणवत्ता विहिन आपूर्ति करने पर उन्हें 2 वर्षों हेतु काली सूची में डाला जा सकता है।

18. सफल निविदाकार को आयकर एवं विक्रय कर का क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा।

19. सफल निविदाकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करे। नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विपणन संघ द्वारा विहित अंशराशि तथा प्रवेश शुल्क का भुगतान सफल निविदाकर्ता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। यह राशि 1010/– रूपये होगी।

20. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को बंधनकारी होगा।

21. किसी संग्रहण केन्द्र पर कोई निविदा न आने या स्वीकृत न होने एवं भविष्य में नवीन केन्द्र की स्थापना होने पर दूरी की दृष्टि से निकटतम संग्रहण केन्द्र के सफल निविदाकार को स्वीकृत दर अनुसार उक्त केन्द्र हेतु भी कार्य दिया जा सकता है, यह निकटतम केन्द्र उसी जिले का अथवा अन्य जिले का हो सकता है। अन्यथा स्थिति में कंडिका की शर्ते लागू होंगी।

22. निविदाकर्ता को **HDPE** बोरी प्रदाय करने में समस्त प्रकार के लगने वाले टैक्स स्वयं वहन करना होगा।

23. सभी निविदाकारों को तकनीकी बिड के साथ 5 नग एक भरती उपयोगी बोरी का नमूना हस्ताक्षरयुक्त जमा करना होगा।

24. सफल निविदाकार को अमानत राशि के अतिरिक्त समतुल्य धरोहर राशि जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में 3 दिवस में अनुबंध निष्पादन करना होगा। जमा अमानत राशि एवं धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

25. सफल निविदाकर को विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी के आदेश पर आपूर्ति किये गये प्लास्टिक बोरी के भुगतान प्राप्त करने के पूर्व इसकी जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति की गई बोरी किन श्रोतो से कितनी–कितनी मात्रा प्राप्त की गई है अथवा क्रय की गई है।

26. निविदाकर्ता को संग्रहण केंद्रों को बोरी आपूर्ति करते समय प्रति बंडल में 100 नग बोरी का बंडल बनाकर पूर्ति करना अनिवार्य होगा।

27. **असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि अथवा डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित समिति के द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।**

28. **सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा संबंधित इकाई से अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 3 वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेगें।**

29. **पूर्व वर्षो में काली सूची में दर्ज एवं विपणन संघ के बकायादार निविदा में भाग नहीं ले सकेगें, किन्तु बकायादार द्वारा विपणन संघ की बकाया राशि मय ब्याज में जमा करने के पश्चात् निविदा में भाग ले सकेगे।**

परिशिष्ठ – 2

छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,मुख्यालय–रायपुर

भाग – "क"

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

फार्म नंबर..... दिनांक.....

डनेज के रूप में उपयोग हेतु एक भरती प्लास्टिक (एच.डी.पी.ई) बोरी साईज 30"X19" हेतु तकनीकी लिफाफा बाबत्

निविदा फार्म

निविदाकर्ता के वर्तमान का फोटो स्वाप्रमाणित

1.	निविदाकार का नाम व पूरा पता (पत्र व्यवहार हेतु)			
2.	निविदाकार के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता			
3.	जिले का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है			
4.	निविदाकार/फर्म का दूरभाष कमांक/मोबाईल नं.			
5.	वाणिज्य कर/विकय कर के वैध पंजीयन कमांक एवं वैधता दिनांक (संलग्न करें)	1. केन्द्रीय		
		2. राज्य		
6.	सामग्री का नाम जिसके लिए दर दी जा रही है			नमूने के 6 नग पृथक से जमा करें
7.	साईज			
8.	मात्रा			
9.	स्पेशिफिकेशन			
10.	अर्नेस्ट मनी (अमानत राशि) का विवरण	1. ड्राफ्ट कमांक		
		2. दिनांक		
		3. बैंक का नाम		
		4. राशि रूपये		
11.	निविदा फार्म कय/डाउनलोड का विवरण	मनी रसीद नं./डी.डी. कमांक..... दिनांक..... बैंक का नाम.....		
		राशि 1500/– रूपये (वाणिज्य कर सहित)		
12.	अन्य विवरण यदि कोई हो			

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम.....

फर्म.....

परिशिष्ठ – 3

भाग – ''ख''
(वित्तीय लिफाफा हेतु)

फार्म नंबर..... **दिनांक.....**

डनेज के रूप में उपयोग हेतु उपयोगी एच.डी.पी.ई बोरी साईज 30''X19'' दर प्रस्तुत करने हेतु

प्रेषक,

..... (निविदाकर्ता का नाम)
..... (पूर्ण पता)
.....
.....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
रायपुर

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय रायपुर द्वारा एच.डी.पी.ई बोरी कार्य हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने जिला विपणन अधिकारी, जिला .....में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म क्रय किया है, हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निविदा निर्देशों/संविदा शर्तों, नियमों तथा दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।
2. इस बात की पुष्टि की जाती है कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

जिले का नाम :– .....

(जिस जिले के संग्रहण केन्द्र हेतु निविदा भरी जा रही है)

क.	संग्रहण केन्द्र का नाम	दर प्रति नग (अकों में एवं शब्दों में)	मात्रा नग में	अमानत राशि
1		रू. ( )		
2		रू. ( )		
3		रू. ( )		
4		रू. ( )		
5		रू. ( )		
6		रू. ( )		
7		रू. ( )		
8		रू. ( )		
9		रू. ( )		
10		रू. ( )		

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ठ – 4

इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांक .....को छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्था है, की ओर से जिला विपणन अधिकारी (पक्षकार क्रमांक1) तथा मेसर्स..... .....कि ओर से श्री/श्रीमती ..... (पक्षकार क्रमांक 2) जो उसके मालिक/भागीदार/संचालक/अधिकृत उत्तराधिकारी है के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूंकि पक्षकार क्रमांक 1 द्वारा एक बार उपयोग में लाये गये एवं स्वच्छ साफ सुथरी खाली एच.डी.पी. ई. बोरियां जिनका नाप (30''x19'') है तथा निविदा सूचना क्रमांक .....दिनांक ..... के मापदण्ड के अनुसार है। जिसका मूल्य रू. ..... प्रतिनग है के क्रय हेतु प्रस्तावित किया गया है।

चूंकि पक्षकार क्रमांक 2 द्वारा आफर किये गये मूल्य रू. ..... प्रतिनग को पक्षकार क्रमांक 1 द्वारा स्वीकृत किया गया।

अतः यह इकरारनामा निम्नानुसार शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है –

1. खाली एच.डी.पी.ई. बोरियां साफ सुथरी झड़ाई हुई साबुत एक भरती उपयोगी ही स्वीकार की जायेगी।
2. कटी–फटी/गन्दी बोरियां स्वीकार नहीं की जायेगी, ऐसी बोरियां प्रदायक को स्वयं के व्यय पर बदलना होगा।
3. बोरियों की साईज (एच.डी.पी.ई.) 30''**X** 19'' का होना चाहिए।
4. दरें गन्तव्य संग्रहण केन्द्र पहुंचाकर समस्त कर सहित है। आपूर्ति की गई एक भरती प्लास्टिक बोरियों की राशि का 80 प्रतिशत भुगतान संबंधित संग्रहण केन्द्र में मूल पावती प्राप्त होने पर की जावेगी। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान जिला स्तरीय समिति के गुणवत्ता परीक्षण के प्रतिवेदन पश्चात् नियमानुसार किया जा सकेगा। संग्रहण केन्द्र से प्राप्त पावती सुवाच्य स्पष्ट हस्ताक्षर एवं सील लगी हुई मान्य होगी।
5. आलू/प्याज/लहसून/नमक की बोरियां स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. पक्ष क्रमांक–2 द्वारा आपूर्ति किये गये डनेज सामग्री के गुणवत्ता का निरीक्षण जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जावेगा।
7. पक्ष क्रमांक–2 को प्रदाय आदेश जारी करने के दिनांक से तीन दिवस के भीतर व्यादेशित मात्रा में बोरियों की आपूर्ति संग्रहण केन्द्र पर करनी होगी। बोरियों की आपूर्ति संबंधित जिले के भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर निकटतम संग्रहण केन्द्र के सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृत दर पर की जावेगी। भारतीय खाद्य निगम को एक भरती उपयोगी बोरियां आपूर्ति हेतु अन्य दर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। स्वीकृत निविदाकर्ता को आदेशित बोरियां संबंधित जिला विपणन अधिकारी से लिखित/मौखिक मांग प्राप्त होने पर तत्काल गन्तव्य स्थल तक पहुंचाकर देना होगा।

8. पक्ष कमांक–2 द्वारा समय पर मांग अनुरूप आपूर्ति न करने की स्थिति में आवश्यक बोरियां स्थानीय बाजार भाव से खरीदी की जावेगी एवं अंतर की राशि निविदाकार के देयक/अमानत राशि/धरोहर राशि से कटौती कर ली जावेगी। आपूर्ति आदेश अनुमानित मात्रा से कम या ज्यादा भी हो सकता है। पक्ष कमांक–2 द्वारा प्लास्टिक बोरियां मांग अनुसार प्रदाय न करने तथा गुणवत्ता विहीन आपूर्ति करने पर उन्हें 2 वर्षों हेतु काली सूची में डाला जा सकता है।
9. पक्ष कमांक–2 के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करे। नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विपणन संघ द्वारा विहित अंशराशि तथा प्रवेश शुल्क का भुगतान पक्ष कमांक–2 द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। यह राशि 1010/– रूपये होगी।
10 पक्ष कमांक–2 को संग्रहण केंद्रों केा बोरी आपूर्ति करते समय प्रति बंडल में 50 नग बोरी का बंडल बनाकर पूर्ति करना होगा।
11. किसी संग्रहण केन्द्र पर कोई निविदा न आने या स्वीकृत न होने एवं भविष्य में नवीन केन्द्र की स्थापना होने पर दूरी की दृष्टि से निकटतम संग्रहण केन्द्र के सफल निविदाकार को स्वीकृत दर अनुसार उक्त केन्द्र हेतु भी कार्य दिया जा सकता है, यह निकटतम केन्द्र उसी जिले का अथवा अन्य जिले का हो सकता है। उक्त स्थिति में अनुबंध की कंडिका की समस्त शर्ते यथावत् लागू होगी।
12. पक्ष कमांक–2 से अनुबंधित दर समस्त कर सहित है, अन्य भी स्थिति में देय नहीं होगा।
13. पक्ष कमांक–2 को विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी के आदेश पर आपूर्ति किये गये प्लास्टिक बोरी के भुगतान प्राप्त करने के पूर्व इसकी जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति की गई बोरी किन श्रोतो से कितनी–कितनी मात्रा प्राप्त की गई है अथवा कय की गई है।
14. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

यदि निविदा सूचना, निविदा निबंधनों के किसी भी नियमों शर्तो का किसी भी नियमों एवं शर्तो को प्रदायक द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि निविदा स्वीकृति आदेश को निरस्त करे तथा नया निविदा आमंत्रित कर या आवश्यक बोरियां खुले बाजार से वर्तमान दर पर कय करे तथा इस वजह से विपणन संघ को हानि होती है तो उसकी वसूली संबंधित प्रदायक से करें एवं दो वर्ष के लिए काली सूची में डालें।

उपरोक्त इकरारनामा दोनो पक्षों द्वारा ऊपर दर्शाया गया दिनांक..... को में दोनों पक्षों के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ताक्षर
प्रदायक का नाम एवं पता
(कार्यालय सील)

हस्ताक्षर
जिला विपणन अधिकारी

साक्षीः– हस्ताक्षर
नाम व पता .....

साक्षीः– हस्ताक्षर
नाम व पता .....